पिठासीन अधिकारी:—साधुराम ...

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00400

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 17/2019 (शुभकरण सिंह बनाम सोहनसिंह वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 16.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश कमांक भू0अ0/2022/1603 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 16.08.2022 को जारी की गई।

16/8/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 17/2019

1. शुभकरण उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री पीरूराम जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. सोहनसिंह उम्र 71 वर्ष दत्तक पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील प्रतिवादी – श्री अमित कुमार नूनिया

दावा बाबत धोषणार्थ एवं खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 11.07.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गुगन की ढ़ाणी पटवार हल्का ककड़ेऊ कलां की सरहद में भूमि हाल ख0न0 3 रकबा 6.08 है0 भूमि अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक काश्तकारी की भूमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपनी सहुलियत से काबित काश्त है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा गुगन के समय से ही पैतृक काश्तकारी की भूमि रही है। गुगन के दो पुत्र मालाराम व पीरूराम हुये। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पीरूराम के जायन्दा पुत्र है मालाराम के कोई संतान नहीं होने के कारण सोहनसिंह को गोद ले लिया। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि रही है तथा गुगन के दो संतान हुई इसलिये उक्त भूमि दोनो के नाम बराबर–बराबर दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु गलती से उक्त भूमि अकेले मालाराम पुत्र गुगन के नाम दर्ज कर दी गई। इसलिये वादी वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी वादी को उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित कर अलग खाता विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पावन्द किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमती से न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वादग्रस्त भूमि में वादी द्वारा अपने 1/2 हिस्से की धोषणा तथा विभाजन चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि मे वादी के 1/2 हिस्से का पैतृक कब्जा काश्त के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने में सहमत है। दोनो पक्षकार ने सहमती बाबत राजीनामा न्यायालय में पेश किया है। जिसके अनुसार सभी पक्षकारान के हिस्सो की धोषणा तथा तदनुसार विभाजन किया जाना है। अतः लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम गुगन की ढ़ाणी पटवार हल्का ककड़ेऊ कलां स्थित भूमि ख0न0 3 रकबा 6.08 है0 भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मुताबिक कब्जा काश्त की भूमि तक रास्ता कायम करते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/— रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर